Mahila College Dalsinghsarai
Department of History
B.A. III (Hons)

Dr. Anu Kumari
Date :- 07/02/2024

रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है ? इसकी विशेषताएँ एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालें।

=> रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः मद्रास एवं बाम्बे प्रेसीडेंसी में लागू की गई थी। 1799 ई० में टीपू तथा 1818 ई० में मराठों को पराजित करने के पश्चात अंग्रेजों का अधिकार मद्रास एवं बाम्बे में भी हो गया था। इन नवविजित क्षेत्रों से भी आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु यहाँ पर भू-राजस्व व्यवस्था के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गयी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भाग शामिल था। यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ई० में कर्नल रीड के द्वारा बारामहल क्षेत्र में लागू की गई थी, आगे इस व्यवस्था को 1820 ई० में मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में तथा 1825 में एल्फिंस्टन के द्वारा बाम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। इन क्षेत्रों में अपनाई गई व्यवस्था के अंतर्गत चूंकि अनुबंध कृषकों के साथ किया गया था, अतः इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया।

* रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएँ —

1) रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का प्रबंधन और स्थाई रूप से 10 से 40 वर्षों के लिए किया गया था समय-समय पर इस का पुनर्निरीक्षण और पुनर्निर्धारण भी किया जाता था।

2). इस व्यवस्था में भू-राजस्व की वार्षिक उत्पादन का 50 से 60% तक निर्धारित की गई थी।

3). इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व कृषकों को दिया गया कृषि भूमि का क्रय-विक्रय कर सकते थे किंतु लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी।

* रैयतवाड़ी व्यवस्था के उद्देश्य :—

रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य थे—

(1) स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा कृषकों का अत्यधिक शोषण किया गया था। साथ ही इस्तमरारी जमींदारी के कारण कृषि के विकास हेतु भी नगण्य प्रयास किए गए थे। अतः इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नवीन भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया।

(2) स्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजों को कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ राज्य सीमित स्तर लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था

Scanned with CamScanner

अतः अंग्रेजों ने मद्रास एवं मुंबई में अस्थाई
अनुबंध किया।

(3) दक्षिण एवं पश्चिम भारत में उत्तर भारत के जमींदारों की तरह कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था, अतः अंग्रेजों ने सीधे कृषकों के लिए रैयत अनुबंध किया।

(4) मुनरो तथा एल्फिंस्टन जैसे अधिकारियों पर उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव था। जिनका मानना था कि जमींदारी वर्ग अनुत्पादक वर्ग होता है अतः भू-राजस्व अनुबंध सीधे कृषकों के साथ किया जाना चाहिए।

अतः रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू-राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि की क्षेत्रफल के आधार पर किया गया।

Scanned with CamScanner